



HEADQUARTERS' OFFICE
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
PANCHDEEP BHAWAN:C.I.G. MARG:NEW DELHI – 110 002
Website : www.esic.nic.in

No. Z-12/12/50/Misc.(WZ)/2012-Vig.

Date: 16.3.2012

To,

All Regional Director/Jt. Director I/c/SSMC/SMC/M.S.,
ESI Corporation,
Panchdeep Bhawan,
R.O. / S.R.O. /Hospital,

Subject : Provision of Information under RTI Act.

Sir,

It has been noticed that Regions are in practice of endorsing the copy of reply being sent by them to the applicants seeking informations under RTI Act, to the Director (Vigilance), Hqrs. Office despite the fact that no reference was made by this office in this regard, which increases considerable un-productive work. It is, therefore, requested that copies of such letters may not be addressed/endorsed to Director (Vigilance), Hqrs. Office unless it was specifically so advised/demanded. This should be brought to the notice of all the concerned working under your jurisdiction.

This issues with the approval of Director (Vigilance).

Yours faithfully,

(ANURAG KUMAR)
ASSTT. DIRECTOR(VIGILANCE)



मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

आई.एस.ओ.9001-2008, पंचदीप भवन,
सी0आई0जी0 मार्ग, नई दिल्ली-110002

संख्या: Z-12/12/50/Misc (WZ)/12-Vig.

दिनांक : 16/03/2012

सेवा मे,

समस्त क्षेत्रीय निदेशक /निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रभारी)/
वरिष्ठ राजकीय चिकित्सा आयुक्त /चिकित्सा अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय /उप क्षेत्रीय कार्यालय/चिकित्सालय,
.....

विषय:- सूचना के अधिकार नियम के अन्तर्गत सूचनाएं/जानकारी प्रदान करना।

महोदय,

यह देखा गया है कि निगम के कई क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/चिकित्सालय के सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक को दी गई जानकारी के पत्र की प्रति आवेदक को भेजते समय उसकी एक प्रति निदेशक (सत0) को पृष्ठांकित करते हैं, बावजूद इसके कि इस संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया गया होता है, जिससे मुख्यालय में काफी अनावश्यक कार्य बढ़ जाता है। अतः निवेदन है कि भविष्य में ऐसे मामलों में पृष्ठांकन इस कार्यालय को तब तक ना भेजे जब तक आपको विशेष रूप से ऐसा करने को कहा ना जाए/मांगा ना जाए। आपके अधिनस्थ कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को भी इस संबंध में बता दिया जाए।

यह पत्र निदेशक (सतर्कता) की सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अनुराग कुमार)

सहायक निदेशक, सतर्कता